



**मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्**  
**(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)**  
 59, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)

क्र. ७०६६/वित्त एवं लेखा/एनआर-४/NREGS-M.P./2010

भोपाल, दिनांक १२/७/१०

प्रति,

कलेक्टर/कार्यक्रम समन्वयक  
 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना  
 समस्त जिला

विषय:- **MGNREGS-M.P.** अन्तर्गत योजना की राशियां क्रियावयन ऐंजेसियों के स्तर पर डंप (Dump) न होने देने बाबत।

—०—

विषयांतर्गत विभिन्न बैंडकों एवं उच्च स्तरीय समीक्षाओं में यह अवगत हुआ है कि जिला कार्यक्रम समन्वयक स्वयं के जिलों में विभिन्न क्रियावयन ऐंजेसियों के पास उपलब्ध राशि की सूख्म समीक्षा नहीं कर रहे हैं और इसका परिणाम यह हो रहा है कि शासकीय राशियां डंप (Dump) हो रही हैं।

इस स्थिति को मॉनिटरिंग करने के लिए परिषद् की बेबसाईट पर एक प्रपत्र भी अंकित किया गया है। भावना यह है कि जहाँ एक ओर राशियों के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न न हो वही दूसरी ओर राशियों स्वयं किसी भी स्तर पर अवरुद्ध भी न हो। अतः इस संबंध में आपके स्तर पर प्रति सप्ताह सूख्म समीक्षा की जाये एवं प्राप्त राशियों का नियमानुसार उपयोग किया जाये ताकि भारत सरकार से आपके लेवर बजट के प्रावधानों के विरुद्ध केन्द्रांश भी प्राप्त हो सके।

इस कार्यवाही को महत्वपूर्ण समझें।

२५/७/१०

(शिव शेखर शुक्ला)  
 मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
 म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्  
 मुख्यालय, भोपाल  
 भोपाल, दिनांक / / 10

पु.क्र. ७०६७/वित्त एवं लेखा/एनआर-४/NREGS-M.P./2010

प्रतिलिपि:-

१. प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन की ओर सूचनार्थ।

२५/७/१०

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
 म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्  
 मुख्यालय, भोपाल